



पत्रावली पेढा दुबे रुक-रुक कर वेग
 वर अवाज दिलाई गई न तो वकील वकी
 एवं प्रतिवादी उपस्थित होर न ही
 ऐसी स्थिति में न्यायालय इस प्रकार
 को छोड़ चलाना उचित नहीं समझता है
 अतः पत्रावली अदम एजरी अदम पेशी में
 खारिज की जाती है। पत्रावली फसल-शुमार
 होकर नम्बर से कम की जावे।
 निर्णय आज दिनांक 13-9-18 को सरे झलाह
 सुनाया गया।

3. कालूलाल } झापाडया वाड न० मांगरोल तहसील
 4. मूरिया } मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

मान्यवर,

वादीगण निम्नलिखित आधारों पर वाद-पत्र पेश कर